2021 का विधेयक संख्यांक 16.

[दि आरबिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996
का और संशोधन
करने के लिए
विधयेक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह 4 नवंबर, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा

धारा 36 का संशोधन ।

2. माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 36 की उपधारा (3) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा और 23 अक्तूबर, 2015 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :— 1996 का 26

"परंतु यह और कि जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है कि,—

(क) माध्यस्थम् करार या संविदा, जो कि पंचाट का आधार है ; या

(ख) पंचाट का दिया जाना,

कपट या भ्रष्टाचार द्वारा उत्प्रेरित था या के कारण था, वह पंचाट को बिना किसी शर्त के तब तक अधिस्थगित करेगा जब तक पंचाट को धारा 34 के अधीन दी गई चुनौती का निपटान नहीं कर दिया जाता है ।"।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त परंतुक, माध्यस्थम् कार्यवाहियों से या उसके संबंध में इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि माध्यस्थम् या न्यायालय कार्यवाहियां, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने से पूर्व या उसके पश्चात् प्रारंभ हुई थी, सभी न्यायालय मामलों को लागू होगा ।"। 2016 का 3

धारा 43ञ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना ।

3. मूल अधिनियम की धारा 43ञ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

मध्यस्थम् के प्रत्ययन के लिए सन्नियम ।

"43ञ. मध्यस्थों के प्रत्ययन के लिए अर्हताएं, अनुभव और सन्नियम वे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।"।

आठवीं अनुसूची का लोप ।

4. मूल अधिनियम की आठवीं अनुसूची का लोप किया जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

5. (1) माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 2020 का अध्यादेश सं0 14

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (अधिनियम) देशी माध्यस्थम्, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् और विदेशी माध्यस्थम पंचाटों के प्रवर्तन से संबंधित विधि और सुलह संबंधी विधि को समेकित करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था ।

2. उपयोक्ता के माध्यस्थम् प्रक्रिया को, अन्य बातों के साथ-साथ, मैत्रीपूर्ण बनाने, लागत प्रभावी बनाने और मध्यस्थों की शीघ्र निपटान और तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (अधिनियम) 2015 द्वारा संशोधित किया गया था ।

3. तत्पश्चात्, अधिनियम, 2015 के माध्यम से किए गए संशोधनों को लागू करने में और देश के संस्थागत माध्यस्थम् को बढ़ावा देने के लिए उत्पन्न होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा पुनः संशोधित किया गया था ।

4. संविदा या माध्यस्थम् पंचाट सुनिश्चित करने में भ्रष्ट आचरणों के मुद्दे को पता लगाने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता महसूस की गई थी कि सभी पणधारी दलों को माध्यस्थम् पंचाटों के प्रवर्तन पर शर्त रहित रोक का अवसर वहां मिले जहां अंतर्निहित माध्यस्थम् समझौता या करार या माध्यस्थम् पंचाट बनाना कपट या भ्रष्टाचार से उत्प्रेरित है । देश से प्रतिष्ठित मध्यस्थों को आकर्षित करके भारत के अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् के केंद्र के रुप में बढ़ावा देने के लिए अधिनियम की आठवीं अनुसूची का लोप करना भी आवश्यक समझा गया था ।

5. उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का और संशोधन करना आवश्यक हो गया है । तथापि, संसद् सत्र में नहीं था और तत्काल उस अधिनियम में और संशोधन करना आवश्यक हो गया था, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) के अधीन 4 नवंबर, 2020 को माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का 14) को प्रख्यापित किया गया था ।

6. माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 अन्य बातों के साथ-साथ पूर्वोक्त अध्यादेशों के स्थान की पूर्ति के लिए है, जो निम्नलिखित का उपबंध करता है, अर्थात् :—

(i) माध्यस्थम् पंचाटों के प्रवर्तन पर शर्तरहित रोक वहां मंजूर करना जहां अंतर्निहित माध्यस्थम् करार, संविदा या माध्यस्थम् पंचाट कपट या भ्रष्टाचार से उत्प्रेरित है;

(ii) अधिनियम की आठवीं अनुसूची का लोप करना जिसमें मध्यस्थों की अर्हताएं, अनुभव और उनके प्रत्यायन के लिए सन्नियम अधिकथित है;

(iii) मध्यस्थों की अर्हताएं, अनुभव और उनके प्रत्यायन के लिए

सन्नियमों को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करना और उक्त संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है; और

7. यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
29 जनवरी, 2021

रवि शंकर प्रसाद

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 3 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में धारा 43ञ के प्रतिस्थापन करने का प्रस्ताव करती है ।

2. प्रस्तावित धारा 43ञ यह उपबंध करता है कि भारतीय माध्यस्थम् परिषद् मध्यस्थों की अर्हताएं, अनुभव और प्रत्यायन के लिए सन्नियमों के विनियमों को विनिर्दिष्ट करेगी ।

3. वे विषय, जिनके संबंध में विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रकृति और प्रशासनिक ब्यौरे संबंधी विषय हैं, और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यौहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 26) से उद्धरण

* * * * *

प्रवर्तन ।

36. (1) जहां धारा 34 के अधीन माध्यस्थम् पंचाट को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है, वहां उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसा पंचाट सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अनुसार उसी रीति से प्रवर्तित किया जाएगा मानों वह न्यायालय की कोई डिक्री हो । 1908 का 5

(2) जहां पंचाट अधिनियम को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन न्यायालय में धारा 34 के अधीन फाइल किया गया है वहां ऐसी किसी आवेदन के फाइल किए जाने से ही वह पंचाट तब तक अपर्वतनीय नहीं हो जाएगा जब तक कि न्यायालय उस प्रयोजन के लिए किए गए किसी पृथक् आवेदन पर उपधारा (3) की उपबंधों के अनुसार उक्त माध्यस्थम् पंचाट के प्रवर्तन पर कोई रोकादेश नहीं दे देता है ।

(3) न्यायालय, माध्यस्थम् पंचाट के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन फाइल किए जाने पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे पंचाट के प्रवर्तन पर रोक मंजूर कर सकेगा :

परन्तु न्यायालय धन के संदाय संबंधी माध्यस्थम् पंचाट के मामले में रोक मंजूर करने संबंधी आवेदन पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अधीन धन संबंधी किसी डिक्री पर रोक मंजूर किए जाने संबंधी उपबंधों को सम्यक् ध्यान रखेगा ।

* * * * *

प्रत्यायन के लिए सन्नियम ।

43ञ. मध्यस्थों के प्रत्यायन के लिए अर्हताएं, अनुभव और सन्नियम वे होंगे, जो आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु केन्द्रीय सरकार, परिषद् से परामर्श के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आठवीं अनुसूची का संशोधन कर सकेगी और तदुपरि आठवीं अनुसूची को तदनुसार संशोधित समझा जाएगा ।

* * * * *

आठवीं अनुसूची

(धारा 43ञ देखिए)

मध्यस्थ की अर्हताएं और अनुभव

कोई व्यक्ति मध्यस्थ होने के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,—

(i) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अर्थान्तर्गत कोई ऐसा अधिवक्ता है, जिसके पास अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव है ; या 1961 का 25

(ii) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अर्थान्तर्गत कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में दस वर्ष का व्यवसाय का 1961 का 25

अनुभव है ; या

(iii) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अर्थांतर्गत कोई ऐसा लागत लेखापाल है, जिसके पास लागत लेखापाल के रूप में दस वर्ष का व्यवसाय का अनुभव है ; या 1959 का 23

(iv) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अर्थांतर्गत कोई ऐसा कंपनी सचिव है, जिसके पास कंपनी सचिव के रूप में दस वर्ष का व्यवसाय का अनुभव है ; या 1980 का 56

(v) भारतीय विधिक सेवा का अधिकारी रहा हो ; या

(vi) विधि में डिग्री रखने वाला कोई ऐसा अधिकारी रहा हो, जिसके पास सरकार, स्वायत्त निकाय, पब्लिक सेक्टर उपक्रम में विधिक मामलों में या प्राइवेट सेक्टर में वरिष्ठ स्तर की प्रबंधकीय हैसियत में दस वर्ष का अनुभव हो ; या

(vii) इंजीनियरी में डिग्री रखने वाला कोई ऐसा अधिकारी रहा हो, जिसके पास सरकार, स्वायत्त निकाय, पब्लिक सेक्टर उपक्रम में इंजीनियर के रूप में या प्राइवेट सेक्टर में वरिष्ठ स्तर की प्रबंधकीय हैसियत में दस वर्ष का अनुभव हो या वह दस वर्ष से स्व:नियोजित हो ; या

(viii) केंद्रीय या राज्य सरकार में प्रशासन का वरिष्ठ स्तर का अनुभव रखने वाला कोई अधिकारी रहा हो या जिसके पास पब्लिक सेक्टर उपक्रम, किसी सरकारी कंपनी या किसी विख्यात प्राइवेट कंपनी में वरिष्ठ स्तर पर प्रबंध का अनुभव हो ; या

(ix) किसी अन्य दशा में ऐसा व्यक्ति है, जिसके पास डिग्री स्तर की शैक्षणिक अर्हता हो और साथ ही, जिसके पास दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा अधिकारों या अन्य विशेषीकृत क्षेत्रों में वैज्ञानिक या तकनीकी क्षेत्र में, यथास्थिति, सरकार, स्वायत्त निकाय, पब्लिक सेक्टर उपक्रम में दस वर्ष का अनुभव हो या वह प्राइवेट सेक्टर में वरिष्ठ स्तर की प्रबंधकीय हैसियत रखता हो ।

मध्यस्थ को लागू साधारण सन्नियम

(i) मध्यस्थ ऐसा व्यक्ति होगा, जिसकी निष्पक्षता, ईमानदारी में साधारण ख्याति हो और जो विवादों के निपटान में वस्तुनिष्ठता को अनुप्रयुक्त करने में समर्थ हो ;

(ii) मध्यस्थ को निष्पक्ष और तटस्थ होना चाहिए और उसे ऐसे किसी वित्तीय कारबार या किसी अन्य संबंध से दूर रहना चाहिए जिससे उसकी निष्पक्षता के प्रभावित होने की संभावना हो या जो पक्षकारों के बीच पक्षपात या पूर्वाग्रह की युक्तियुक्त संभावना सृजित करता हो ;

(iii) मध्यस्थ को किसी विधिक कार्यवाही में संलिप्त नहीं होना चाहिए और उसे उसके द्वारा मध्यस्थ के रूप में निपटाए जाने वाले किसी विवाद से संबंधित किसी संभाव्य विरोध से बचना चाहिए ;

(iv) मध्यस्थ को नैतिक अधमता अंतर्वलित करने वाले किसी अपराध या किसी आर्थिक अपराध में सिद्धदोष नहीं ठहराया गया हो ;

(v) मध्यस्थ भारत के संविधान, नैसर्गिक न्याय, समानता के सिद्धातों,

सामान्य तथा रूढिजन्य विधियों, वाणिज्यिक विधियों, श्रम विधियों, अपकृत्य विधियों तथा माध्यस्थम् पंचाटों को तैयार करने और उन्हें प्रवर्तित किए जाने से सुपरिचित होगा ;

(vi) मध्यस्थ के पास माध्यस्थम संबंधी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विधिक प्रणाली की उत्तम समझ और उनके संबंध में सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों का ज्ञान होना चाहिए ;

(vii) मध्यस्थ सिविल और वाणिज्यिक विवादों में संविदाकारी बाध्यताओं के प्रमुख तत्वों को समझने में समर्थ होना चाहिए और साथ ही वह विवाद के अधीन किसी परिस्थिति में विधिक सिद्धांतों को लागू करने और माध्यस्थम् से संबंधित किसी मामले में न्यायिक निर्णयों को लागू करने में भी समर्थ होना चाहिए ;

(viii) मध्यस्थ, उसके समक्ष न्यायनिर्णयन हेतु आने वाले किसी विवाद में एक युक्तियुक्त और प्रवर्तनीय माध्यस्थम् पंचाट के संबंध में सुझाव देने, सिफारिश करने और उसे लेखबद्ध करने में समर्थ होना चाहिए ।

* * * * *